रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2017/पौष 15, 1938
No. 08] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2017/PAUSA 15, 1938

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 08(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोकहित में यह निदेश करती है कि सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के कतिपय उपबंध उक्त सारणी (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी पर लागू होंगे, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन स्थापित किसी अनुमोदित बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों से प्रचालन का अनुज्ञप्ति प्राप्त हो (जिसे यहां इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी" कहा गया है), अर्थात्:—

क्रम संख्या	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंध	अपवाद/उपांतरण/अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 2 का खंड (41)	खंड (41) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह भी कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में, जो किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी कंपनी है, समनुषंगी कंपनी का वित्त वर्ष इसकी नियंत्री कंपनी के वित्त वर्ष के समान होगा और अधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।"।

2.	धारा 2 के खंड (76) का उपखंड (viii)	धारा 188 के संबंध में लागू नहीं होगा।
3.	धारा 3 की उपधारा (2)	उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "परंतु कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी कंपनी शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी के रूप में ही विरचित की जाएगी।"
4.	धारा 4 की उपधारा (1) का खंड (क)	उपधारा (1) के खंड (क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के नाम के भाग के रूप में "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी" या "आईएफएससी" प्रत्यय रहेगा।"।
5.	धारा 4 की उपधारा (1) का खंड (ग)	धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन यथा अनुज्ञात वित्तीय सेवाएं कार्यकलाप चलाने के उद्देश्य और भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमति के अनुसार किसी अनुमोदित बहु-सेवाएं विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय़ वित्तीय सेवा केन्द्र से प्रचालन हेतु अनुज्ञप्ति के अनुसार उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे गए अन्य मामले कथित करेगी।"।
6.	धारा 12 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी का विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित किसी अनुमोदित बहु-सेवाएं विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय़ वित्तीय सेवा केन्द्र जहां से प्रचालन के लिए इसे अनुज्ञप्ति प्राप्त है, सदा अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा।"।
7.	धारा 12 की उपधारा (2)	"तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
8.	धारा 12 की उपधारा (4)	"पंद्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
9.	धारा 12 की उपधारा (5)	उपधारा (5) शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:- "(5) निदेशक मंडल द्वारा पारित एक संकल्प के प्राधिकार के सिवाय विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा: परंतु विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी उक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के बाहर किसी स्थान पर अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान परिवर्तित नहीं करेगी।"।

10.	धारा 21	"किसी अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "एक अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति" पढ़ा जाए।
11.	धारा 42 की उपधारा (3) और (7)	लागू नहीं होगा।
12.	धारा 42 की उपधारा (6)	"साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "नब्बे दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
13.	धारा 43	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर लागू नहीं होगा, जहां ऐसी कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेदों में इसका उपबंध हो।
14.	धारा 47	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर लागू नहीं होगा, जहां ऐसी कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेदों में इसका उपबंध हो।
15.	धारा 54 की उपधारा (1) का खंड (ग)	लागू नहीं होगा।
16.	धारा 56 की उपधारा (4)	उपधारा (4) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी निगमन, आबंटन, हस्तांतरण या संप्रेषण के पश्चात् साठ दिन की अवधि के भीतर अभिदाताओं को सभी प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्रों की संदाय करेगी।"।
17.	धारा 62 की उपधारा (1) का खंड (क)	उपधारा (1) के खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु उपखंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में, उक्त उपखंड में विनिर्दिष्ट अवधि से कमतर अवधि लागू होगी यदि नब्बे प्रतिशत से अधिक सदस्यों ने लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक ढंग में अपनी सम्मति दी है।"।
18.	धारा 62 की उपधारा (1) का खंड (ख)	"विशेष संकल्प" शब्दों के स्थान पर "साधारण संकल्प" रूप में पढ़ा जाए।
19.	धारा 67	किसी ऐसे विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर लागू नहीं होगा- (क) जिसकी शेयरपूंजी में किसी अन्य कारपोरेट निकाय ने कोई धनराशि निवेश नहीं की है; (ख) यदि ऐसी किसी कंपनी का बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों अथवा किसी कारपोरेट निकाय से उधारी इसकी प्रदत्त शेयरपूंजी की दुगुनी राशि अथवा पचास करोड़, जो भी कम हो, से न्यून है; और (ग) ऐसी कंपनी ने इस धारा के अधीन संव्यवहार करते समय ऐसी उधारियों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की हो।
20.	धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ड.)	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर लागू नहीं होगा जो अपने सदस्यों से प्रदत्त शेयरपूजीं और मुक्त निक्षेप के कुल राशि के शत प्रतिशत से अधिक धनराशि स्वीकार नहीं करती है और ऐसी कंपनी इस प्रकार स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे यथाविनिर्दिष्ट रीति में रजिस्ट्रार को फाइल करती है।

IndiaCode

21.	धारा 82 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में रजिस्ट्रार, कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर यथाविहित ऐसे अतिरिक्त फीसों के भुगतान पर ऐसे सृजन के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञा कर सकेगा।"।
22.	धारा 89 की उपधारा (6)	"तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
23.	धारा 92 की उपधारा (3)	लागू नहीं होगा।
24.	धारा 100 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में बोर्ड सभी शेयरधारकों की सम्मति के अधीन भारत में या भारत के बाहर किसी स्थान पर कंपनी का असाधारण अधिवेशन बुला सकता है।"।
25.	धाराएं 101 से 107 और धारा 109	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में लागू होगा, जब तक कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
26.	धारा 117 की उपधारा (1)	"तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
27.	धारा 117 की उपधारा (3) का खंड (छ)	लागू नहीं होगा।
28.	धारा 118 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में इसके निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की प्रत्येक समिति की प्रत्येक बैठक का यथास्थिति कार्यवृत्त बोर्ड अथवा समिति के अगले अधिवेशन तक या उससे पहले उपधारा (1) में यथाउपबंधित रीति में तैयार और हस्ताक्षर की जाएगी और उस प्रयोजन के लिए रखी गई बहियों में रखी जाएगी।"।
29.	धारा 118 की उपधारा (10)	लागू नहीं होगा।
30.	धारा 134 की उपधारा (3)	उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में, यदि इस उपधारा में सूचीबद्ध कोई सूचना वित्तीय विवरण में दी जाती है तो कंपनी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसी सूचना शामिल नहीं करेगी।"
31.	धारा 135	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के कारबार प्रारंभ करने से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू नहीं होगा।
32.	धारा 138	लागू होगा यदि कंपनी के अनुच्छेदों में ऐसा उपबंध हो।
33.	धारा 139 की उपधारा (1) का चौथा परंतुक	"पंद्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
34.	धारा 139 की उपधारा (2) के सभी परंतुक	लागू नहीं होगा।

IndiaCode

35.	धारा 140 की उपधारा (1)	उपधारा (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में जहां इस उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने के साठ दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी को किसी निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ने आवेदन का अनुमोदन कर दिया है और कंपनी साठ दिन की अवधि के समाप्त होने की तारीख के पश्चात् तीन महीने की अवधि के भीतर आयोजित साधारण अधिवेशन में नए लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगी।"।
36.	धारा 149 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक	लागू नहीं होगा।
37.	धारा 149 की उपधारा (3)	उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह उपधारा किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर इसके निगमन की तारीख से पहले वित्त वर्ष को छोड़कर अन्य वित्त वर्षों के संबंध में लागू होगा।"।
38.	धारा 149 की उपधारा (4) से (11), उपधारा (12) का खंड (i) और उपधारा (13)	लागू नहीं होगा।
39.	धारा 152 की उपधारा (5)	"तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रुप में पढ़ा जाए।
40.	धारा 152 की उपधारा (6) और (7)	लागू नहीं होगा।
41.	धारा 160	कंपनी द्वारा विरचित अनुच्छेदों के अनुसार लागू होगा।
42.	धारा 161 की उपधारा (3)	उपधारा (3), में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में, बोर्ड तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों या किसी करार के अनुसरण में किसी संस्थान या कंपनी या कारपोरेट निकाय या किसी सरकारी कंपनी में शेयरधारिता के आधार पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी व्यक्ति को निर्देशक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।"।
43.	धारा 162	लागू नहीं होगा।
44.	धारा 168 की उपधारा (1) के परंतुक	"किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "किया जा सकता है" के रुप में पढ़ा जाए।
45.	धारा 170 की उपधारा (2)	दोनो स्थानों पर "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रुप में पढ़ा जाए।
46.	धारा 173 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी निगमन के साठ दिन के भीतर निदेशक बोर्ड का प्रथम अधिवेशन आयोजित करेगी और तत्पश्चात्

IndiaCode

		एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छह महीने में निदेशक मंडल की कम-से-कम एक अधिवेशन आयोजित करेगी।"।
47.	धारा 174 की उपधारा (3)	इस अपवाद के साथ लागू होगा कि हितबद्ध निदेशक ऐसी अधिवेशन में भाग ले सकता है बशर्ते कि संबंधित निदेशक द्वारा अधिवेशन के पूर्व या अधिवेशन में अपने हितों का प्रकटीकरण किया गया हो।
48.	धारा 177	लागू नहीं होगा।
49.	धारा 178	लागू नहीं होगा।
50.	धारा 179 की उपधारा (3)	उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह भी कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में बोर्ड अपने अधिवेशनों में पारित संकल्पों द्वारा या परिचालन द्वारा पारित संकल्पों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।"
51.	धारा 180	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में तब लागू किया जाएगा, जब कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंध न हो।
52.	धारा 184 की उपधारा (2)	इस अपवाद के साथ लागू होगा कि हितबद्ध निदेशक ऐसे अधिवेशन में भाग ले सकता है बशर्ते कि संबंधित निदेशक द्वारा अधिवेशन के पूर्व या अधिवेशन में अपने हितों का प्रकटीकरण किया गया हो।
53.	धारा 185 की उपधारा (1)	स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "(ग) कोई प्राइवेट कंपनी जिसका ऐसा कोई निदेशक एक निदेशक हो अथवा सदस्य हो जिसने ऋणदाता कंपनी के निदेशक का स्वयं अथवा अपने नातेदारियों के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं हो और जो इस आशय का विशेष संकल्प पारित करे।"।
54.	धारा 186 की उपधारा (1)	लागू नहीं होगा।
55.	धारा 186 की उपधारा (2) और (3)	लागू नहीं होगा यदि किसी कंपनी ने निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में या परिचालन द्वारा विशेष संकल्प पारित किया हो।
56.	धारा 186 की उपधारा (5)	उपधारा (5) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में इस उपधारा के अधीन निदेशक मंडल अपने अधिवेशनों में पारित संकल्पों द्वारा या परिचालन द्वारा पारित संकल्पों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।"।
57.	धारा 188 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक	लागू नहीं होगा।
58.	धारा 196 की उपधारा (4)	लागू नहीं होगा।
59.	धारा 197	लागू नहीं होगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उपधारा (2) की अपेक्षा के अनुसार इस अधिसूचना के प्रारूप संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे गए हैं।

[फा. सं. 3/1/2015-सीएल.I]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2017

G.S.R. 08(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 462 and in pursuance of sub-section (2) of the said section of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations as specified in column (3) of the said Table, to an unlisted public company which is licensed to operate by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India from the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) read with the Special Economic Zones Rules, 2006 (herein after referred to as "Specified IFSC public company"), namely:—

Serial Number	Provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	Exceptions/Modifications/Adaptations
(1)	(2)	(3)
1.	Clause (41) of section 2	In Clause (41), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :- "Provided also that in case of a Specified IFSC public company, which is a subsidiary of a foreign company, the financial year of the subsidiary may be same as the financial year of its holding company and approval of the Tribunal shall not be required.".
2.	Sub-clause (viii) of clause (76) of section 2	Shall not apply with respect to section 188.
3.	Sub-section (2) of section 3	In sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that a Specified IFSC public company shall be formed only as a company limited by shares.".
4.	Clause (a) of sub-section (1) of section 4	In clause (a) of sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that a Specified IFSC public company shall have the suffix "International Financial Service Company" or "IFSC" as part of its name.".
5.	Clause (c) of sub-section (1) of section 4	In clause (c) of sub-section (1) of section 4, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that a Specified IFSC public company shall state its objects to do financial services activities, as permitted under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) read with the Special Economic Zones Rules, 2006 and any matter considered necessary in furtherance thereof, in accordance with license to operate, from International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone, granted by the Reserve Bank of

IndiaCode

		India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India.".
6.	Sub-section (1) of section 12	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that a Specified IFSC public company shall have its registered office at the International Financial Services Centre located in the approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 read with the Special Economic Zones Rules, 2006, where it is licensed to operate, at all times.".
7.	Sub-section (2) of section 12	For the words "thirty days" read as "sixty days".
8.	Sub-section (4) of section 12	For the words "fifteen days" read as "sixty days".
9.	Sub-section (5) of section 12	For sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(5) Except on the authority of a resolution passed by the Board of Directors, the registered office of the Specified IFSC public company shall not be changed from one place to another within the International Financial Services Centre: Provided that the Specified IFSC public company shall not change the place of its registered office to any other place outside the said International Financial Services Centre.".
10.	Section 21	For the words "an officer" read as "an officer or any other person".
11.	Sub-sections (3) and (7) of section 42	Shall not apply.
12.	Sub-section (6) of section 42	For the words "sixty days" read as "ninety days".
13.	Section 43	Shall not apply to a Specified IFSC public company, where memorandum of association or articles of association of such company provides for it.
14.	Section 47	Shall not apply to a Specified IFSC public company, where memorandum of association or articles of association of such company provides for it.
15.	Clause (c) of sub-section (1) of section 54	Shall not apply.
16.	Sub-section (4) of section 56	In sub-section (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that a Specified IFSC public company shall deliver the certificates of all securities to subscribers after incorporation, allotment, transfer or transmission within a period of sixty days.".
17.	Clause (a) of sub-section (1) of section 62	In clause (a) of sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that notwithstanding anything contained in sub-clause (i), in case of a Specified IFSC public company, the periods lesser than those specified in the said sub-clause shall apply if ninety per cent. of the members have given their consent in writing or in electronic mode.".

18.	Clause (b) of sub-section (1) of section 62	For the words "special resolution" read as "ordinary resolution".
19.	Section 67	Shall not apply to a Specified IFSC public company- (a) in whose share capital no other body corporate has invested any money; (b) if the borrowings of such company from banks or financial institutions or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or fifty crore rupees, whichever is lower; and (c) such a company is not in default in repayment of such borrowings subsisting at the time of making transactions under this section.
20.	Clauses (a) to (e) of sub-section (2) of section 73	Shall not apply to a Specified IFSC public company which accepts from its members, monies not exceeding one hundred per cent. of aggregate of the paid up share capital and free reserves, and such company shall file the details of monies so accepted to the Registrar in such manner as may be specified.
21.	Sub-section (1) of section 82	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC public company, the Registrar may, on an application by the company, allow such registration to be made within a period of three hundred days of such creation on payment of such additional fees as may be prescribed.".
22.	Sub-section (6) of section 89	For the words "thirty days" read as "sixty days".
23.	Sub-section (3) of section 92	Shall not apply.
24.	Sub-section (1) of section 100	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC public company, the Board may subject to the consent of all the shareholders, convene its extraordinary general meeting at any place within or outside India.".
25.	Sections 101 to 107 and section 109	Shall apply in case of a Specified IFSC public company, unless otherwise specified in the articles of the company.
26.	Sub-section (1) of section 117	For the words "thirty days" read as "sixty days".
27.	Clause (g) of sub-section (3) of section 117	Shall not apply.
28.	Sub-section (1) of section 118	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC public company, the minutes of every meeting of its Board of Directors or of every committee of the Board, to be prepared and signed in the manner as may be prescribed under sub-section (1) at or before the next Board meeting or committee meeting, as the case may be and kept in the books kept for that purpose.".
29.	Sub-section (10) of section 118	Shall not apply.
30.	Sub-section (3) of section 134	In sub-section (3), following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC public company, if any information listed in this sub-section is provided in the financial statement, the company may not include such information in the report of the Board of Directors.".

indiacode

31.	Section 135	Shall not apply for a period of five years from the commencement of business of a Specified IFSC public company.
32.	Section 138	Shall apply if the articles of the company provides for the same.
33.	Fourth proviso to sub section (1) of section 139	For the words " fifteen days" read as " thirty days".
34.	All provisos to sub-section (2) of section 139	Shall not apply.
35.	Sub-section (1) of section 140	In sub-section (1) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that in case of a Specified IFSC public company, where, within a period of sixty days from the date of submission of the application to the Central Government under this sub-section, no decision is communicated by the Central Government to the company, it would be deemed that the Central Government has approved the application and the company shall appoint new auditor at a general meeting convened within three months from the date of expiry of sixty days period.".
36.	Second proviso to sub-section (1) of section 149	Shall not apply.
37.	Sub- section (3) of section 149	In sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that this sub-section shall apply to a Specified IFSC public company in respect of financial years other than the first financial year from the date of its incorporation.".
38.	Sub- sections (4) to (11), clause (i) of sub-section (12) and sub-section (13) of section 149	Shall not apply.
39.	Sub-section (5) of section 152	For the words "thirty days" read as "sixty days".
40.	Sub-sections (6) and (7) of section 152	Shall not apply.
41.	Section 160	Shall apply as per the articles framed by the company.
42.	Sub-section (3) of section 161	In sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC public company, the Board may appoint, any person nominated by any institution or company or body corporate as a director in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or of any agreement or by the Central Government or the State Government by virtue of its shareholding in a Government company.".
43.	Section 162	Shall not apply.
44.	Proviso to sub-section (1) of section 168	For the word "shall" read as "may".
45.	Sub-section (2) of section 170	For the words "thirty days" at both places read as "sixty days".
46.	Sub-section (1) of section 173	In sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that a Specified IFSC public company shall hold the first meeting of the Board of Directors within sixty days of its

IndiaCode

		incorporation and thereafter hold atleast one meeting of the Board of Directors in each half of a calendar year.”.
47.	Sub-section (3) of section 174	Shall apply with the exception that interested director may participate in such meeting provided the disclosure of his interest is made by the concerned director either prior or at the meeting.
48.	Section 177	Shall not apply.
49.	Section 178	Shall not apply.
50.	Sub-section (3) of section 179	In sub-section (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided also that in case of a Specified IFSC public company, the Board can exercise powers by means of resolutions passed at the meetings of the Board or through resolutions passed by circulation.”.
51.	Section 180	Shall apply in case of a Specified IFSC public company, unless the articles of the company provides otherwise.
52.	Sub-section (2) of section 184	Shall apply with the exception that interested director may participate in such meeting provided the disclosure of his interest is made by the concerned director either prior or at the meeting.
53.	Sub-section (1) of section 185	In the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:- “(c) any private company of which any such director is a director or member in which director of the lending company do not have direct or indirect shareholding through themselves or through their relatives and a special resolution is passed to this effect;”.
54.	Sub-section (1) of section 186	Shall not apply.
55.	Sub-sections (2) and (3) of section 186	Shall not apply if a company passes a resolution either at meeting of the Board of Directors or by circulation.
56.	Sub-section (5) of section 186	In sub-section (5), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided further that in case of a Specified IFSC public company, the Board can exercise powers under this sub-section by means of resolutions passed at meetings of the Board of Directors or through resolutions passed by circulation.”.
57.	Second proviso to sub-section (1) of section 188	Shall not apply.
58.	Sub-section (4) of section 196	Shall not apply.
59.	Section 197	Shall not apply.

2. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of the Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

[F. No. 3/1/2015-CL.I]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.01.06 18:54:03 +05'30'